न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/537

राधेश्याम पुत्र जगन्नाथ जाति खाती निवासी ग्राम अरन्या तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
---अपीलान्ट

बनाम

1. कैलाश बाई पत्नी प्रभूलाल पुत्री जगन्नाथ जांगिड जाति खाती निवासनी ग्राम चींसा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. जनकी बाई पत्नी छीतर लाल पुत्री जगन्नाथ जाति खाती निवासी उदयपुरिया तहसील दीगोद जिला कोटा हाल निवास द्वारा नन्दकिशोर जी रीडर का मकान नं0 6–10 अम्बेडकर कॉलोनी सामुदायिक भवन के पास, कोटा ।
3. तुलसाबाई पत्नी सोहन लाल पुत्री स्व0 जगन्नाथ जाति खाती निवासी ग्राम सीन्ता तहसील व जिला बून्दी ।
4. सत्तू पत्नी मदन लाल जी पुत्री जगन्नाथ जाति खाल निवासी पैट्रोल पम्प के आगे श्री निकेतन स्कूल के पास कोटा ।
5. रोशन बाई पत्नी रामरन पुत्री स्व0 जगन्नाथ जाति खाती निवासी पैट्रोल पम्प के आगे श्री निकेतन स्कूल के पास, कोटा ।
6. मंजू बाई पत्नी भैरूलाल पुत्री जगन्नाथ जाति खाती निवासनी ग्राम हरीपुरा (रावंठा) उप तहसील मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री शम्भूदयाल विजय, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कुज बिहारी नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 2 से 6 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 16.04.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत ग्राम अरन्या तहसील लाडपुरा जिला कोटा की कुल 03 किता की रकबा 5.38 आराजी के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर कथन

किया कि उक्त आराजी पूर्व रकबे से सेटलमेंट द्वारा कम कर दिये जाने के बाद प्रतिवादी ने अपना रकबा पूरा करवाने हेतु कार्यवाही किये जाने पर नामान्तरकरण संख्या 231 दिनांक 14.03.2005 को खसरा नम्बर 15 की रकबा 2.95 हैक्टर से बढाकर उसका रकबा 3.32 हैक्टर दर्ज कर दिया गया । अब वर्तमान में कुल रकबा 5.38 हैक्टर के स्थान पर रकबा 5.75 हैक्टर भूमि अंकित कर दिया गया है । उक्त भूमि प्रतिवादी के तन्हा खातेदारी में दर्ज है । उक्त भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा बनता है जिस पर वादी काबिज काश्त है । वादी उक्त आराजी पर अपना 1/2 हिस्सा प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है ।

3. अतः दावा वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस प्रकार से बंटवारा की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी कुल 03 किता की रकबा 5.75 हैकटर भूमि का वादी एवं प्रतिवादी कम 1 के मध्य बंटवारा किया जाकर वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित कर पृथक से लगान कायम किया जाकर राजस्व में अमल दरामद किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.06.2016 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.06.2016 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि उक्त वाद में जगन्नाथ जी का जवाब प्रस्तुत होने के बाद शेष कायममुकामान जो उनकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी बने उनका कोई जवाब रिकॉर्ड पर नहीं आया । इस आधार पर वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य था । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तनकीयात व दस्तावेजात का अवलोकन किये निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 24.02.2015 को वाद संख्या 211/14 व 206/14 को समेकित कर दिया था और समेकित के उपरान्त वाद संख्या 211/14 की सुनवाई हेतु चल रहा था उसमें प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई इसलिए वादी के कथन को नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता इसलिए वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य था । दिनांक 27.04.2015 को वादी द्वारा आदेश 07 नियम 14 सीपीसी दस्तावेज प्रस्तत करने हेतु पेश किया था जिसका जवाब प्रतिवादीगण द्वारा नहीं दिया गया था उसको निर्णित किये बिना ही लोक अदालत में अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में लोक अदालत में निर्णय पारित कर दिया जिसके बाबत् पूर्व में अपीलान्ट को कोई सूचना या नोटिस भी प्राप्त नहीं हुआ था । उक्त निर्णय एंव डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी अप्रार्थी कम 1 द्वारा मौके पर कुछ लोगों को लाकर भूमि बेचान की बात करने और प्रार्थी के मना करने पर दिनांक 16.09.2016 को हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह

अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट का दावा डिक्री होने योग्य होते हुए भी खारिज कर दिया । जगन्नाथ का जवाब प्रस्तुत होने के बाद शेष मुकामान का कोई जवाब रिकॉर्ड पर नहीं आया इस आधार पर दावा डिक्री किये जाने योग्य था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने दावा खारिज किया है दिनांक 24.02.2015 को वाद संख्या 211/14 और 206/14 को समेकित किया और समेकित के बाद प्रकरण संख्या 211/14 सुनवाई में चल रहा था । प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई वादी के कथनों को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता । वादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 14 सीपीसी शामिल मिसल था जिसका जवाब प्रतिवादीगण द्वारा नहीं दिया गया था उसको निर्णित किये बिना ही लोक अदालत में निर्णय पारित किया है । दिनांक 10.07.2008 के बाद कोई आदेशिका पत्रावली पर मौजूद नहीं है । सीधे दिनांक 19.02.2009 की पेशी दी गई है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 20 नियम 05 के प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी का वाद सीपीसी की पालना किये बिना खारिज किया है । अतः प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताए हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जिरह साक्ष्य वादी में लम्बित थी और उसमें दिनांक 24.02.2015 को दावा संख्या 206/14 समेकित किये जाना अंकित है परन्तु दावा संख्या 206/14 की पत्रावली इसके साथ संलग्न नहीं की गई है । पत्रावली पर दिनांक 27.04.2015 वादी राधेश्याम का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 14 सीपीसी भी संलग्न है जिस पर भी निर्णय पारित नहीं किया गया है । पत्रावली को लोक अदालत में रखा गया और लोक अदालत में न तो पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही कोई राजीनामा पेश किया गया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए वादी और प्रतिवादी का वाद खारिज किया है, सीपीसी की पालना नहीं की गई है ।

12. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करें । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.06.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दोनों दावों को समेकित करने की स्थिति में दोनों दावों की पत्रावलियों को साथ रखकर दोनों दावों व जवाबदावे के आधार पर समेकित तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 10.06.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 16.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/4/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा